राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र VISAKHAPATNAM STEEL PLANT
विशाखपट्टणम VISAKHAPATNAM-530031

मानव संसाधन विभाग – नीति व नियम
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT – POLICIES & RULES

सं.No.HR/RR/08/06/e-dak: 15 दि.24.01.2023

विविध परिपत्र MISCELLANEOUS CIRCULAR NO. 01 / 2023

विषय: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ई पी एस-95) पर माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले के संबंध में।

Sub: Recent Judgment of the Hon'ble Supreme Court on Employees' Pension Scheme 1995 (EPS-95)-reg.

1. ई पी एस-95 के तहत उच्च पेंशन के मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दि.04.11.2022 के फैसले के माध्यम से यह निदेश दिया कि 22.08.2014 को अधिसूचित पेंशन योजना का संशोधन छूट प्राप्त सभी संगठनों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। उपर्युक्त विषय पर विविध परिपत्र दि.21.11.2022 के माध्यम से इसकी संक्षेप में सूचना दी गयी।

   Hon'ble Supreme court vide judgment dated 04.11.2022 on higher pension under EPS-95 has directed that amendment to the Pension scheme notified on 22.08.2014 shall apply to the employees of the exempted establishments. This was intimated in brief vide Misc. Cir. No.05/2022 dated 21.11.2022 on the above subject.

2. आर आई एन एल एक छूट प्राप्त संगठन है, अत: यह फैसला आर आई एन एल के कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के लिए लागू होगा।

   RINL being an exempted establishment, the judgment is applicable to the employees/ ex-employees of RINL.

3. आर आई एन एल, भविष्य निधि के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान से ई पी एस-95 में नवंबर, 1995 से मई, 2001 तक निर्धारित वेतन सीमा के 8.33% दर पर 5000/- रुपये, जून 2001 से 6500/- रुपये एवं सितंबर 2014 से 15000/- रुपये का अंशदान देता आ रहा है।

   RINL has been contributing towards EPS-95 @8.33% of the prescribed wage ceiling i.e., Rs.5000/- from Nov,1995 till May,2001, Rs.6500/- w.e.f. June,2001 and Rs.15000 w.e.f. September,2014 out of the employer's contribution towards PF.

4. ई पी एफ ओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिच्छेद सं.44(v) एवं परिच्छेद सं.(vi) के साथ पठित परिच्छेद 44 (ix) के अनुपालन में परिपत्र सं.पेंशन/2022/54877/15149 दि.29.12.2022 एवं शुद्धिपत्र सं.पेंशन/2022/54877/15238 दि.05.01.2023 जारी किये। ये परिपत्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी सूचना प्रणाली (**आर आई ई एस**) एवं नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी वेतन स्वयं-सेवा (ई पी एस एस) में उपलब्ध हैं।

   EPFO has issued Circular No. Pension/2022/54877/15149 dated 29.12.2022 and Corrigendum No. Pension/2022/54877/15238 dated 05.01.2023, in compliance with Para 44(ix) read with Para 44(v) and Para(vi) of the SC Judgment. These circulars will be made available at Retired Employees' Information System (**REIS**) for retired employees and at Employee Pay Self-Service (EPSS) for regular employees.

5. ई पी एफ ओ ने अपने पत्र दि.08.07.2004 के माध्यम से आर आई एन एल को उच्च पेंशन का विकल्प प्रस्तुत करने की समयसीमा और आगे पत्र दि.22.11.2006 के माध्यम से उच्च पेंशन के विकल्प के पात्र कर्मचारियों की स्पष्ट जानकारी दी। ये कागजात नियमित कर्मचारियों के लिए ई पी एस एस पर और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आर ई आई एस (सेवानिवृत्त कर्मचारी सूचना प्रणाली) पर उपलब्ध हैं। कर्मचारियों से उच्च पेंशन के विकल्प सहित प्रस्तुत आवेदन शीघ्र ही ई पी एस एस एवं आर ई आई एस पर उपलब्ध होंगे।
EPFO vide its letter dated 08.07.2004 had communicated to RINL the timeline for submitting option for higher pension and further vide letter dated 22.11.2006 clarified as to who are eligible to make option for higher pension. These documents are made available at EPSS for regular employees and at REIS (Retired Employees' Information System) for retired employees. The applications submitted by employees giving option for higher pension will also be made available in due course of time at EPSS and REIS.

6. ई पी एफ ओ से उच्चतम न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन की विस्तृत पद्धति के प्राप्त होने तक नवंबर, 1995 से वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन के अंशदान की गणना हेतु वास्तविक वेतन संबंधी आंकड़े प्राप्त किये जा चुके हैं। आगे, कर्मचारियों के लाभ के दृष्टिगत निर्धारित वेतन सीमा के ऊपर जाने वाले वास्तविक वेतन के आधार पर ई पी एस-95 में अंशदान की अस्थाई राशि का ई पी एफ ओ प्राधिकारियों की स्वीकृति की शर्त पर आकलन किया गया। यह पुन: दोहराया जाता है कि ई पी एफ ओ से विस्तृत दिशानिर्देशों के प्राप्त होने तक गणना की ये राशियाँ ऐसे आकलनों पर आधारित होंगी। अत: ये अंतिम निर्धारित राशियाँ नहीं होंगी और ई पी एफ ओ से आगे के आदेशों के प्राप्त होने पर ये परिवर्तित हो सकती हैं। अत:, यदि ई पी एफ ओ के अनुसार अंतिम पेंशन राशि आकलन की गयी राशि से भिन्न हो तो आर आई एन एल किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
While detailed modalities for implementation of the SC Judgment are awaited from EPFO, the actual salary data has been extracted since November, 1995 for computation of pension contribution on actual salary. Further, for the benefit of employees, the **tentative** amount to be remitted towards EPS-95 contributions based on actual salary exceeding stipulated wage ceiling, has been estimated and is subject to acceptance by EPFO authorities. It is reiterated that pending receipt of detailed guidelines from EPFO, these calculated amounts are based on certain assumptions and thus these are not the final amounts and may change once further guidelines are released by EPFO. Therefore, RINL will not have any liability in case final pension amount as per EPFO will be different from the estimated amount.

7. वेतन संबंधी आंकड़े एवं पेंशन के अंशदान का वर्कशीट निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा/डाउनलोड किया जा सकता है:
The pay data and pension contribution worksheet can be viewed/downloaded through the following link:
नियमित कर्मचारी Regular Employees:
Intranet (www.vspsite.org)→EPSS →PF, SBF & EPS-95 → EPS-95

सेवानिवृत्त कर्मचारी Retired Employees:
www.vizagsteel.com→REIS→ EPS -95

* *REIS - Retired Employees' Information System*

8. यदि वेतन संबंधी आंकड़ों में कोई विसंगति हो तो नियमित कर्मचारी अपनी टिप्पणी ईमेल के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन सेवा के **chrs_rinl@vizagsteel.com** पर दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी टिप्पणी ईमेल के माध्यम से अंतिम निपटान कक्ष-एस ई डब्ल्यू ए के **fsc_rinl@vizagsteel.com** पर दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी/पूर्व कर्मचारियों को विसंगति के मामले में संबद्ध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे मूल वेतन संबंधी आंकड़े के सत्यापन की प्रक्रिया **04.02.2023** तक पूरा करें।
In case of any discrepancy in salary data, regular employees may submit their remarks through email to the Central HR Services at **chrs_rinl@vizagsteel.com**. Similarly, retired employees may

submit their remarks/comments through email to the Final Settlement Cell-SEWA at **fsc_rinl@vizagsteel.com** in case of discrepancy. Employees/ ex-employees are required to provide relevant proofs towards the discrepancy. Employees/ ex-employees are requested to complete the verification and confirmation of Basic Pay Data latest by **04.02.2023**.

9. अन्य संगठन(नों) से आर आई एन एल में नियुक्त कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी इसके लिए उन संगठनों में अपनी सेवावधि संबंधी वास्तविक वेतन विवरण प्राप्त करें।
Employees/ ex-employees who have joined RINL from other organization(s) are required to obtain the actual salary details for the purpose, from those organization(s) for their relevant service period in that organization(s).

10. आर आई एन एल से इस्तीफा देकर अन्य संगठनों में नियुक्त पात्र कर्मचारियों के मामले में आर आई एन एल में लागू सेवावधि संबंधी उनके वास्तविक वेतन विवरण प्राप्ति के उनके अनुरोधों के आधार पर सी एच आर एस द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
In case of the eligible resigned employees who have joined other organizations from RINL, CHRS will make arrangement to provide the actual salary details, on their requests for the applicable service period in RINL.

11. ऐसे पूर्व कर्मचारियों, जो आर आई एन एल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास से भविष्य निधि ले चुके हों एवं इस विकल्प का चयन करने के पात्र हों, को ई पी एफ ओ से अधिसूचित निर्धारित समय के अंदर ई पी एफ ओ में अंतर की राशि जमा करनी होगी। ई पी एफ ओ द्वारा निर्णीत अनुसार अंतर की राशि जमा करने की पद्धति शीघ्र ही सूचित की जाएगी।
The eligible ex-employees who would like to exercise the option and who have already withdrawn their Provident Fund from RINL Employees Provident Fund Trust will have to arrange the differential amount for depositing with EPFO within the prescribed time as and when notified by EPFO. The mode and manner of deposit of the differential amount will be informed in due course as decided by EPFO.

12. ये अनुदेश ई पी एफ ओ द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले संशोधन/दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। चूँकि संयुक्त विकल्प पर अभी ई पी एफ ओ से कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अत: पात्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन उन कर्मचारियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने के किसी अधिकार की पुष्टि नहीं करते अथवा आर आई एन एल को ऐसे किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराते।
These instructions are subject to any ratification(s)/guideline(s) that may be issued by EPFO from time to time. As clarity has not been provided by EPFO on the joint option, the applications submitted by the eligible employees do not confer any right to receive or make RINL responsible to pay higher pension to them.

13. ई पी एफ ओ द्वारा आगे जारी दिशानिर्देशों/अधिसूचना के अनुरूप आगे की आवश्यक कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
Further course of action will be intimated as and when further guidelines/notification is issued by EPFO.

NVS Raju 24/01/23

(एन वी एस राजु NVS Raju)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)-कार्यपालक स्थापना,
गैर-संकर्म, नीति व नियम
GM(HR)-EE, NW, P&R

<u>वितरण Distribution</u>: मानक Standard.